सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 433 राँची ,बुधवार

12 भाद्र 1936 (श०)

3 सितम्बर, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

3 सितम्बर, 2014

1. उपायुक्त, लोहरदगा का पत्रांक-738/म0को0, दिनांक 13 जून, 2013 एवं पत्रांक-1274/म0को0, दिनांक 28 अक्टूबर, 2013

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-5892, दिनांक 2 जुलाई, 2013, पत्रांक-8056, दिनांक 4 सितम्बर, 2013 एवं संकल्प सं0-192, दिनांक 8 जनवरी, 2014

3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहमदगंज, पलामू का पत्रांक-425, दिनांक 13 अगस्त, 2013

4. श्री शुभेन्द्र झा, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-100, दिनांक 16.06.2014

संख्या-5/आरोप-1-273/2014 का.- 8905--श्री हरिवंश पंडित, झा0प्र0से0 (क्रमांक-6/64, प्रथम बैच, गृह जिला- गिरिडीह), के विरूद्ध इनके प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा के पद पर

पदस्थापन अवधि से संबंधित उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-738/म0को0, दिनांक 13 जून, 2013 के द्वारा आरोप प्रपत्र- 'क' में प्राप्त है। श्री पंडित के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

1. ग्राम पंचायत झालजमीरा में मनरेगा अन्तर्गत क्रियान्वित योजना संख्या-01/10-11 ग्राम झालजमीरा में बड़का टोली में डहू दोन नाला में श्री विश्वनाथ उराँव के खेत के पास कच्चा मिट्टी बांध निर्माण जिसकी प्राक्कलित राशि रू0 5,63,000/- एवं योजना संख्या- 30/2009- 10 ग्राम झालजमीरा पिपर टोली में बिरया उराँव के घर से सिमार टोंगरी तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण जिसकी प्राक्कलित राशि रू0 5,42,248/- संबंधित श्री मुरली प्रसाद साहू, तत्कालीन ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक-सह- प्रभारी मुखिया, पंचायत झालजमीरा एवं श्री रामाकान्त साहू, पंचायत सचिव-सह- जनसेवक, झालजमीरा की मिलीभगत से फर्जी मस्टर रौल तैयार कर योजना में मजदूरी की राशि की निकासी कर हड़प ली गई। मजदूरों को मजदूरी की राशि भुगतान नहीं किया गया। उक्त योजनाओं में श्री हरिवंश पंडित, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सेन्हा द्वारा निरीक्षण, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नहीं कर लापरवाही बरती गयी तथा मजदूरी नहीं मिलने की मजदूरों की मौखिक शिकायतों की अनदेखी कर अपने स्तर से कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई।

2. योजना का क्रियान्वयन लाभुक समिति के माध्यम से कराया गया। जबकि लाभुक समिति/अभिकर्ता के माध्यम से कराने का निर्देश नहीं था। निर्देश की अनदेखी कर श्री हरिवंश पंडित, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सेन्हा द्वारा कार्य लाभुक समिति के माध्यम से कराया जाना वित्तीय अनियमितता का जिम्मेवार है।

3. जाँच के क्रम में यह भी पाया गया कि उक्त क्रियान्वित योजनाओं में कार्यरत मजदूरों के मजदूरी की राशि बैंक ऑफ़ इंडिया, सेन्हा से निकासी का मस्टर रौल पर झारखण्ड ग्रामीण बैंक, सिठियों को भेजे जाने वाला भुगतान पर फर्जी बैंक मोहर लगाकर एडभाईस फर्जी रूप से तैयार किया गया और मजदूरों को उनके मजदूरी की राशि झारखण्ड ग्रामीण बैंक के सिठियों शाखा के बैंक खाता मे हस्तांतरित नहीं की गई। मजदूरों को मजदूरी की राशि नहीं दी गई और जाँच-पड़ताल, पूछताछ में यह जानकारी मिली। बैंक ऑफ़ इंडिया, सेन्हा शाखा से गलत तरीके से राशि की निकासी की गई। श्री हरिवंश पंडित, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सेन्हा द्वारा निरीक्षण, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नहीं कर वित्तीय अनियमितता के जिम्मेवार हैं।

4. उक्त योजनाओं के निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्राक्कलन के आधार पर न किया जाना। मनरेगा के प्रावधानों की अनदेखी कर श्री हरिवंश पंडित, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा अनियमितता के जिम्मेवार हैं|

विभागीय पत्रांक-5892, दिनांक 2 जुलाई, 2013 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा श्री तिर्की से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री पंडित के पत्रांक-425, दिनांक 13 अगस्त, 2013 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-1274/म0को0, दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 द्वारा श्री पंडित के स्पष्टीकरण पर अपना मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया गया है।

विभागीय संकल्प सं0-192, दिनांक 8 जनवरी, 2014 द्वारा श्री पंडित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री शुभेन्द्र झा, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री शुभेन्द्र झा, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-100, दिनांक 16 जून, 2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें श्री पंडित के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाया गया है।

श्री पंडित के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण, उपायुक्त, लोहरदगा के मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त, श्री पंडित को 'निन्दन' की सजा दी जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 433–50 ।